प्रेस नोट सं0-16

दिनांक- 11.08.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल लकड़ी की फट्टी बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.08.2025 को क्षेत्राधिकारी अमेठी के कुशल नेतृत्व में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 191(2), 191(3), 118(1), 115(2), 105 बीएनएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी में वांछित 01 नफर अभियुक्त मातादीन यादव पुत्र रामनेवाज निवासी ग्राम मिश्रौली बडगांव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि पूर्व में उसका कल्लू यादव(मृतक) से विवाद हुआ था। दिनांक 09.08.2025 को रात में कल्लू यादव उसके घर के सामने से जा रहे थे और उसको और उसके घर वालों को गाली दे रहे थे। अभियुक्त मातादीन के लड़के अमर बहादुर ने मना किया तो कल्लू यादव लड़ने झगड़ने लगे किन्तु आसपास के लोगों के समझाने से चले गये थे। कुछ समय बाद कल्लू यादव बांका लेकर आये और उसके लड़के अमरबहादुर व सुरेन्द्र को मारने पीटने लगे तभी मातादीन ने पास में पड़ी लकड़ी की फट्टी से कल्लू यादव को मारा पीटा जिससे बाद में कल्लू यादव की मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त की निशानदेही पर नहर पुलिया गरीबी के पुरवा मोड़ के पास से मारपीट में प्रयुक्त लकड़ी की फट्टी (आलाकत्ल) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- मातादीन यादव पुत्र रामनेवाज निवासी ग्राम मिश्रौली बडगांव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 लकड़ी की फट्टी (आलाकत्ल)

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 154/25 धारा 191(2), 191(3), 118(1), 115(2), 105 बीएनएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री बृजेश सिंह प्रभारी निरीक्षक संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 सुरेशचन्द्र यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
3. हे0का0 जंगबहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।